SIP+

SUCCESS IN PRELIMS

- प्रारम्भिक परीक्षा हेतु विस्तृत विषय-सामग्री
- मानक पुस्तकों एवं NCERT का सार
- चार्ट, सारणी एवं आरेख द्वारा सारांशित
- सहज अनुस्मरणीय

राजव्यवस्था

रिवीज़न हेतु सहज एवं सरल

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी

STUDY IQ PUBLICATIONS

भारतीय राजव्यवस्था

रिवीज़न हेतु सहज एवं सरल

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए उपयोगी

Study IQ Education Pvt. Ltd.
भारत की राजव्यवस्थाः रिवीज़न हेतु सहज एवं सरल 1st Edition by Study IQ Publications
Author/Copyright Owner: Study IQ Education Pvt. Ltd.
© Copyright is reserved by Study IQ Education Pvt. Ltd.
Publisher: Study IQ Publications

Printed at: ATOP Printers, Noida

इस पुस्तक के सभी अधिकार सुरक्षित है। सामान्य रूप से पाठ का कोई भाग, आंकड़ा, चित्र, पृष्ठ लेआउट और पुस्तक कवर डिजाइन विशेष तौर पर किसी भी रूप या किसी भी माध्यम जैसे इलैक्ट्रोनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकोर्डिंग या किसी भी सूचना भंडारण और पुनप्राप्ति प्रणाली द्वारा प्रकाशक या लेखक की पूर्व अनुमिति के बिना प्रस्तुत या प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

इसका प्रकाशन सभी प्रारूपों में, अर्थात पेपरबैक, ई-बुक, या किंडल ईबुक के माध्यम से, इस शर्त के अधीन बेचा जा सकता है कि इस पुस्तक को प्रकाशक या लेखक की पूर्व अनुमिति के बिना व्यापार के माध्यम से या अन्यथा, उधार, पुनर्विक्रय, फोटोकॉपी, किराए या अन्य तरीकों से प्रसारित नहीं किया जाएगा।

इसके प्रकाशन/पुस्तक/ईबुक/किंडल ईबुक में निहित जानकारी Study IQ (स्टडी आईक्यू) की संपादकीय टीम के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। ऐसा विश्वास है कि इसमें शामिल सभी जानकारी सटीक और विश्वसनीय है। इस पुस्तक में जानकारी का स्रोत सहयोगियों से प्राप्त है। जिनके अनुभवी कार्यों और मुद्रांकन का इस्तेमाल करने से पहले जांच की जाती है। फिर भी, न तो Study IQ और न ही संपादकीय टीम इस प्रकाशन में प्रदान की गई जानकारी की सत्यता की गारंटी देती है। इस जानकारी के इस्तेमाल से होने वाली किसी भी हानि के लिए ये जिम्मेदार नहीं होगें।

प्रस्तावना

प्रिय अभ्यर्थियों,

सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा जल्द ही आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा को सिविल सेवक बनने के आपके लक्ष्य की दिशा में पहला पड़ाव माना जाता है। प्रारम्भिक परीक्षा, यूपीएससी सीएसई का सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी चरण है, और इसलिए, इसमें सफल होने के लिए निरंतर अध्ययन, रिवीजन और परीक्षण करना अनिवार्य है। वर्तमान प्रतियोगिता के दौर में यूपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा का प्रयास करने वाले 100 अभ्यर्थियों में से सामान्यत: केवल 1 अभ्यर्थी ही इसमें सफल हो पाता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, इसमें सफल होने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री की नितांत आवश्यकता है। सरल अध्ययन सामग्री वर्तमान समय की मांग है जो यूपीएससी पाठ्यक्रम के त्वरित एवं प्रभावी तरीके से रिवीजन में मदद करती हो।

हमारी यूपीएससी सीएसई पुस्तकों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया से प्रेरणा लेते हुए, हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को सरल बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग को पूरा करने के लिए, स्टडी आईक्यू प्रकाशन आपको 'एसआईपी + स्टेटिक रिवीजन सिम्पलीफाइड बुकलेट्स' के पहले संस्करण को प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है।

एसआईपी + पुस्तिका श्रृंखला को रणनीतिक रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है; एसआईपी + स्टेटिक रिवीजन सिम्पलीफाइड और एसआईपी + करंट रिवीजन सिम्पलीफाइड। यूपीएससी का पाठ्यक्रम व्यापक है, जो सूचनाओं की अधिकता और प्रश्नों की जटिलता के कारण और भी कठिन हो जाता है। ये पुस्तिकाएं विशेष रूप से उन समस्याओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, जिनका सामना अभ्यर्थियों को उनकी प्रारंभिक तैयारी के दौरान करना पड़ता है। यह अभ्यर्थियों से संबंधित आवश्यक मुद्दों को सुलझाने और प्रारम्भिक परीक्षा से पहले उनके अमूल्य समय को बचाने का एक सार्थक प्रयास है।

पुस्तिका की प्रमुख विशेषताएं:

- यूपीएससी के वर्तमान रुझानों एवं पैटर्न के अनुरूप, अद्यतन पाठ्यसामग्री, रिवीजन के लिए उपयुक्तता के जरिए इस पुस्तिका का उद्देश्य आपकी तैयारी को सटीक और प्रासंगिक बनाना है।
- यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति इसका केंद्रबिंदु है।
- हमने यह सुनिश्चित किया है कि पाठ्यसामग्री सुस्पष्ट और रिवीजन के लिए बेहतर हो; ताकि अभ्यर्थी प्रमुख अवधारणाओं और तथ्यों को सीख सकें और उसे याद रख सकें।
- हमने प्रासंगिक अवधारणाओं और तथ्यों को समझने में मदद करने के लिए पुस्तिका में तालिकाओं, चार्ट और माइंड मैप को शामिल किया है।
- एसआईपी+ पुस्तिका की एक प्रमुख विशेषता महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं एवं तथ्यों पर आधारित रिवीजन चार्ट है जिसे छात्र अपनी इच्छानुसार अपनी दीवार या स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं।
- StudyIQ टीम पूरी ईमानदारी और विनम्रता के साथ आपको परीक्षा की तैयारी हेतु शुभकामनाएं देती है, और आशा करती है कि यह पुस्तिका आपकी इस यात्रा में महत्वपूर्ण रूप से सहयोगी होगी।

विषय सूची

अध्याय 1 : भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1

अध्याय 2 : संविधान का निर्माण 5

अध्याय 3 : संविधान की मुख्य विशेषताएं 9

अध्याय 4 : उद्देशिका 12

अध्याय 5 : भारतीय संघ और उसके क्षेत्र 15

अध्याय 6 : नागरिकता 17

अध्याय 7 : मौलिक अधिकार 22

अध्याय 8 : राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत 34

अध्याय 9 : मौलिक कर्तव्य 37

अध्याय 10 : संविधान में संशोधन 38

अध्याय 11 : भारतीय संविधान की मूल संरचना 40

अध्याय 12 : भारतीय संसदीय प्रणाली 42

अध्याय 13 : संघीय प्रणाली 45

अध्याय 14 : केंद्र राज्य संबंध 47

अध्याय 15 : अंतर्राज्यीय संबंध 53

अध्याय 16 : आपातकालीन प्रावधान 57

अध्याय 17 : संघीय कार्यपालिका 62

अध्याय 18 : राज्य की कार्यपालिका 74

अध्याय 19 : संसद 80

अध्याय 20 : राज्य विधायिका 102

अध्याय 21 : न्यायपालिका प्रणाली 109

अध्याय 22 : स्थानीय स्वशासन 124

अध्याय 23 : केंद्र शासित प्रदेश 133

अध्याय 24 : अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 136

अध्याय 25 : सहकारी समितियाँ 138

अध्याय 26 : राजभाषा 139

अध्याय 27 : कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 141

अध्याय 28 : कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान 143

अध्याय 29 : भारत में चुनाव 145

अध्याय 30 : संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय (चार्ट में)

STUDY IQ
PUBLICATIONS

अध्याय 1

भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ब्रिटिश शासन का भारत के संविधान और इसकी राजनीति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। भारतीय मामलों को विनियमित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा विभिन्न अधिनियम लाए गए थे, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में सरकार के संगठन और कामकाज के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया। ये अधिनियम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाते हैं और इनका अध्ययन दो प्रमुख बिंदुओं के तहत किया जा सकता है।

1. कंपनी का शासन (1773 - 1858)
2. ताज का शासन (1858 - 1947)

कंपनी का शासन (1773 - 1858)

- 1600 - ह्वईस्ट इंडिया कंपनी (निजी कंपनी के रूप में) की स्थापना की गई थी। कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिए गए एक चार्टर के तहत भारत में व्यापार करने का 'विशेष अधिकार' दिया गया था।
- 1765 ह्वबक्सर की लड़ाई में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के श्दीवानी अधिकारश प्राप्त किए।
- 'दीवानी अधिकार' से तात्पर्य राजस्व और नागरिक न्याय संबंधी अधिकारों से हैं। इन अधिकारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की, कंपनी के अधिकारियों ने भ्रष्ट गतिविधियों के लिए इन शक्तियों का उपयोग किया। इस प्रकार, ब्रिटिश सरकार ने एक कानूनी ढांचा निर्धारित करके भारत में कंपनी मामलों को विनियमित करने की आवश्यकता महसूस की।

अधिनियम	ईस्ट इंडिया कंपनी का विनियमन	प्रशासनिक परिवर्तन	अन्य परिवर्तन	महत्ता
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट	• कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित कर दिया। • कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी के शासी निकाय) द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों (राजस्व, नागरिक, सैन्य) के बारे में रिपोर्ट करना था।	• बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। • लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 'बंगाल के पहले गवर्नर जनरल' बने। • बंबई +मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।	• सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के सभी निवासियों पर था। • सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रतिवादियों के पर्सनल लॉ को प्रशासित करने की शक्ति थी यानी हिंदुओं और मुसलमानों पर मुकदमे का निर्णय उनके अपने व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार किया जाता था।	• ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित + नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम प्रयास। • पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। • भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट	• इसने स्पष्ट रूप से कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया। • इसने सभी सिविल + सैन्य अधिकारियों के लिए भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया।	• द्वैध शासनह्व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक प्रणाली बनाई गई। • कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स - वाणिज्यिक मामले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल - राजनीतिक मामले		• पहली बार कंपनी के अध ीन क्षेत्रों को 'भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया। • ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों + प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया।
1793 का चार्टर अधि नियम	• भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। • ईआईसी - ह्वभारतीय राजस्व से कर्मचारियों + बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भुगतान करना। • ईआईसी ब्रिटिश सरकार को प्रत्येक वर्ष रू 5 लाख पाउंड का भुगतान करेगा।	• गवर्नर जनरल को प्रेसीडेंसी के गवर्नरोंकी शक्तियों पर वरीयता दी गई।	• गवर्नर-जनरल + गवर्नर + कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था।	

© Study IQ Publications

अधिनियम	ईस्ट इंडिया कंपनी का विनियमन	प्रशासनिक परिवर्तन	अन्य परिवर्तन	महत्ता
1813 का चार्टर अधिनियम	• भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया (अपवाद में चाय में व्यापार और चीन के साथ व्यापार शामिल है)।	• भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया गया। • स्थानीय सरकारों को कर लगाने के लिए अधिकृत किया और कर का भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की।	• ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। • भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों में पश्चिमी शिक्षाकी आवश्यकता पर बल। • इसके लिए 1 लाख रुपये का आवंटन किया गया था।	• अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने की एक नई जिम्मेदारी संभाली। • अधिनियम द्वारा मिशनरी गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण को शिथिल कर दिया गया।
1833 का चार्टर अधिनियम - (सेंट हेलेना अधिनियम)	• ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में समाप्त कर दिया गया, जिससे यह पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन गया।	• बंगाल के गवर्नर जनरल को 'भारत का गवर्नर जनरल' बनाया गया। • लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। • गवर्नर जनरल में सभी सिविल + सैन्य शक्तियों को निहित किया गया। • भारत के गवर्नर जनरल को भारत के सम्पूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों में विशेष विधायी शक्ति दी गई थी। इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। • लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्यके रूप में शामिल करने के साथ ही गवर्नर जनरल के परिषद सदस्य संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। • भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित किया गया था।	• गैर-भेदभाव का सिद्धांत पेश किया गया। 1) किसी भी भारतीय को धर्म, रंग के आधार पर कंपनी के अधीन रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। 2) दास प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रावधान। (इसे 1843 में समाप्त कर दिया गया था) • यूरोपीय लोगों के आप्रवासन और संपत्ति प्राप्त करने पर प्रतिबंध हटा दिए गए। • खुली प्रतियोगिता (सिविल सेवा) के प्रावधान को अस्वीकृत किया गया।	• ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम। • ईआईसीइ ब्रिटिश प्रशासन के क्षेत्र में ताज का ट्रस्टी बन गया। • भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया जिसने 1860 में भारतीय दंड संहिता (प्च्ब्) का मसौदा तैयार किया था।
1853 का चार्टर अधिनियम	• कंपनी मामलों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित अंतिम अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था।	• गवर्नर जनरल काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्य को अलग किया गया। (विधायी कार्यों को एक विशेष कार्य के रूप में माना गया था)। • भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद: एक 'मिनी संसद' के रूप में कार्य करती थी। इसके लिए परिषद में 6 नए सदस्य नियुक्त किए गए थे जिन्हें विधान पार्षद के रूप में जाना जाता था। • स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार पेश किया गया था (6 में से 4 सदस्यों को स्थानीय / प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था - मद्रास, बंबई, बंगाल, आगरा)।	• सिविल सेवा के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता शुरू की गयी- इस प्रकार, सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया।	• गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी विंग ने भारत में संसदीय सरकार की नींव रखी। • भारतीय सिविल सेवाओं का जन्म हुआ। • विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार पेश किया गया था। • प्रशासनिक मामलों में भारतीयों को शामिल करने का पहला प्रयास था।

ताज का शासन (1858 – 1947)

1857 के विद्रोह या 'सैनिक विद्रोह' के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का फैसला कियाऔर गवर्नर, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गयी। यह भारत सरकार अधिनियम, 1858 द्वारा किया गया था जिसे 'एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट'के रूप में भी जाना जाता है।

अधिनियम	कार्यकारी/प्रशासनिक परिवर्तन	विधायी परिवर्तन	अन्य परिवर्तन
भारत सरकार अधिनियम, 1858 (एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट)	• भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। • भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल ‒ लॉर्ड कैनिंग। • 'भारत के राज्य सचिव' नामक एक नए पद को भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। • भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद (सलाहकार) की स्थापना की गई थी।		• द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स + बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया)। • ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया ‒प्रशासन ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। • राज्य हड़प की नीति जैसी नीतियों को समाप्त कर किया गया। • भारतीय रियासतों को स्वतंत्र दर्जा, बशर्ते वे ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार करें।
1861 का भारत परिषद अधिनियम	• पोर्टफोलियो प्रणाली (लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू) को वैधानिक मान्यता दी गई थी। • वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था।	• प्रतिनिधि संस्थान – भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। इनमें से आधे गैर-सरकारी थे। • इन गैर-सरकारी सदस्यों में भारतीय शामिल हो सकते थे (लेकिन अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था)। • वायसराय ने 3 भारतीयों – बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव – को विधान परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया। • **विकेंद्रीकरण:** बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया गया था।	• बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषद की स्थापना
1892 का भारत परिषद अधिनियम		• सदस्यों (गैर-सरकारी) की संख्या में वृद्धि – ‒केंद्रीय + प्रांतीय विधान परिषदों में • बहुमत सरकारी सदस्यों का रखा गया था। • विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि – ‒बजट पर चर्चा करने का अधिकार।	• सीमित + अप्रत्यक्ष प्रारूप से चुनावों का प्रावधान किया गया था। 'चुनाव' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। • कुछ निकायों (जिला परिषद, नगर पालिका) की सिफारिश के आधार पर नामांकनकी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया।
1909 का भारत परिषद अधिनियम (मॉर्ले – मिंटो सुधार)	• पहली बार –‒ वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। • सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा‒- वायसराय की कार्यकारी परिषद (विधि सदस्य) में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। • दो भारतीयों को भारतीय मामलों के राज्य सचिव की परिषद में नामित किया गया था	• भारतीयों को पहली बार इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता दी गई थी। • प्रांतीय विधान सभा में गैर-सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई। (अधिकतर भारतीय) । • विधान परिषद के आकार में वृद्धि (केंद्रीय विधान परिषद् में सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गयी)। • विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया ‒बजट पर चर्चा करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने, संकल्प प्रस्तुत करने आदि की शक्ति।	• मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया – इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। • इसने प्रेसिडेंसी निगमों, चैंबर ऑफ कॉमर्स और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया।

© Study IQ Publications

अधिनियम	कार्यकारी/प्रशासनिक परिवर्तन	विधायी परिवर्तन	अन्य परिवर्तन
भारत शासन अधिनियम, 1919 – (मोंटेग्यू – चेम्सफोर्ड सुधार)	**केंद्र सरकार** • वायसराय की कार्यकारी परिषद – ह्नछह सदस्यों में से तीन का भारतीय होना आवश्यक था। **प्रांतीय सरकार (द्वैध शासन)** • गवर्नर कार्यकारी का प्रमुख होता है। • प्रणाली के तहत प्रशासकों के दो वर्गह्न कार्यकारी पार्षद और मंत्री। • आरक्षित सूची का प्रशासनह्नगवर्नर + कार्यकारी परिषद (विधान परिषद् के लिए उत्तरदायी नहीं)। • राज्य सचिव + गवर्नर जनरल आरक्षित सूची के तहत मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। • हस्तांतरित सूची का प्रशासनह्नगवर्नर + मंत्री (विधान परिषद् के लिए उत्तरदायी)। • इन मंत्रियों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित किया जाता था। • हस्तांतरित सूची के विषयों में राज्य सचिव + गवर्नर-जनरल का हस्तक्षेप प्रतिबंधित।	**केंद्र सरकार** • द्विसदनीय व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया था: ऊपरी सदन (राज्य परिषद) और एक निचला सदन (विधान सभा)। • दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना गया। **प्रांतीय सरकार** • प्रांतीय विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। अब लगभग 70% सदस्य निर्वाचित होने थे। • प्रांतों में विषयों का विभाजन दो सूचियों आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची के तहत किया गया था। • आरक्षित विषय: कानून और व्यवस्था, सिंचाई, वित्त, भूमि राजस्व आदि। • हस्तांतरित विषय: शिक्षा, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, आबकारी, उद्योग, सार्वजनिक कार्य, धार्मिक मामलें, आदि।	• पहली बार – ह्नप्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। • इस प्रकार, प्रांतीय विधायिकाओं को बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया। • पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया – सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय और एंग्लो-इंडियन। • लंदन में भारत के उच्चायुक्त का नया पद स्थापित किया गया। • लोक सेवा आयोग की स्थापना। (केंद्रीय लोक सेवा आयोग – 1926)।
भारत शासन अधिनियम, 1935	• अखिल भारतीय संघ का निर्माण • संघ में ब्रिटिश भारत + रियासतें शामिल होने के इच्छुक थीं। • रियासतों के आवश्यक समर्थन के अभाव में संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। • गवर्नर को प्रांतीय विधायिका (द्वैध शासन समाप्त) के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक था। • केंद्र में द्वैध शासन को अपनाया गया था।	3 सूचियों के तहत शक्तियों का विभाजन (केंद्र और प्रांतों के बीच) • संघीय सूची (केंद्र) प्रांतीय सूची (प्रांत) समवर्ती सूची (दोनों) • अवशिष्ट शक्तियां वायसराय में निहित थीं (किसी भी सूची में उल्लिखित विषयों पर शक्ति)। • 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरूआत • 'प्रांतीय स्वायत्तता' प्रदान की गई	• महिलाओं, दलित वर्गों और श्रमिकों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार। • देश के साख और मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। • संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना। • 'संघीय न्यायालय' की स्थापना का प्रावधान किया गया था जिसे 1937 में स्थापित किया गया था।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (ब्रिटिश शासन समाप्त)	• भारत का विभाजन और 2 स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण • राज्य के सचिव के पद का उन्मूलन	• दोनों राष्ट्रों की संविधान सभाओं को अपने स्वयं के संविधान को अपनाने और ब्रिटिश शासन को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। • 1946 में गठित संविधान सभा को दोहरे कार्य (संवैधानिक और विधायी) सौंपे गए।	• इसने भारतीय रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता प्रदान की।

© Study IQ Publications